"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 253] रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2005— आश्विन 13, शक 1927

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

महानदी खंड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2005

आदेश

क्रमांक एफ-28/रानिआ/न पा/निरर्हता/05/3883.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत रामानुजगंज के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री अजय कुमार को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2005

आदेश

क्रमांक एफ-28/रानिआ/न पा/निरर्हता/05/3884.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत रामानुजगंज के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री जयप्रकाश को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2005

आदेश

क्रमांक एफ-28/रानिआ/न पा/निरर्हता/05/3885.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत रामानुजगंज के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री राकेश कुमार गुप्ता को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2005

आदेश

क्रमांक एफ-28/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/3886.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत रामानुजगंज के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री रमेश कुमार कुशवाहा को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2005

आदेश

क्रमांक एफ-28/रानिआ/न पा/निरर्हता/05/3887.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत रामानुजगंज के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री शोभानाथ को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2005

आदेश

क्रमांक एफ-8/रानिआ/न पा/निरर्हता/05/3888.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत पेण्ड्रा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री जीवनलाल केंवट को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2005

आदेश

क्रमांक एफ-8/रानिआ/न पा/निरर्हता/05/3889.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत पेण्ड्रा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री भुनेश्वर यादव को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2005

आदेश

क्रमांक एफ-8/रानिआ/न पा/निरर्हता/05/3890.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत पेन्ड्रा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री राजेश कुमार केंवट को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार
ओंकार सिंह, सचिव

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2005.